

सं0:- का/283/अ.म./अ.रे/V/सम0/भाग- IV

मुख्य कार्याधी/कार्याधी(का0),
इंजी0, इएसएम, कार्मिक प्रशासन,
यांत्रिक (पावर एवं सी एंड डब्लू),
परिचालन, वाणिज्य सम्वर्ग एवं अनुश्रवण प्रकोष्ठ।

विषय :- अन्तर मंडलीय/अन्तर रेलवे पारस्परिक स्थानान्तरण पर दूसरे मण्डल/रेलवे से आये कर्मचारियों की पदस्थापना।

विदित हो, कि अन्तर मंडलीय/अन्तर रेलवे पारस्परिक स्थानान्तरण स्वीकृत होने के फलस्वरूप दूसरे मंडल/रेलवे से विरमित होकर इस मंडल में रिपोर्ट करने के बाद संबंधित कर्मचारी के पद निर्धारण हेतु मिसिल संबंधित शाखा अधिकारी के यहां प्रस्तावित की जाती है तथा उनका आदेश प्राप्त होने के बाद कार्मिक विभाग द्वारा आदेश जारी किया जाता है। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने में 08-10 दिनों का समय लग जाता है, कभी-कभी इसमें ज्यादा समय भी लग जाता है। इस प्रकार बाहर से आये कर्मचारी अनावश्यक रूप से 08-10 दिनों तक Unutilised रहते हैं एवं Mandays का Loss होता है तथा कार्मिक विभाग का कार्य बोल बढने के साथ-साथ समय भी बर्बाद होता है।

उल्लेखनीय है, कि अन्तर मंडलीय/अन्तर रेलवे पारस्परिक स्थानान्तरण पर सामान्य Concept यह है, कि जो कर्मचारी जिस स्थान/पद से स्थानान्तरण पर जायेगा उसके स्थान पर आने वाला कर्मचारी उसी पद व स्थान पर पदस्थापित गा।

अतः वर्णित स्थिति में यह निर्णय लिया गया है, कि अन्तर मण्डलीय/अन्तर रेलवे पारस्परिक स्थानान्तरण की स्वीकृति उपरान्त दूसरे मंडल/रेलवे से विरमित होकर कर्मचारी जैसे ही इस कार्यालय में रिपोर्ट करते हैं, उसी समय उनका पदास्थापना आदेश उस स्टेशन/स्थान के लिए जारी कर दिया जाय जिस स्थान से उनका Mutual Partner विरमित हुआ है, या होने वाला है। यदि इस क्रम में दूसरे मंडल के कर्मचारी यहां रिपोर्ट कर देते हैं और इस मंडल का कर्मचारी विरमन का आदेश प्राप्त नहीं हुआ हो तो उसी आदेश में यहां के कर्मचारी को विरमित करने का आदेश संबंधित पर्यवेक्षक के लिए अंकित कर दिया जाय। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

यह मंडल रेल प्रबंधक द्वारा अनुमोदित है।

(मनोज कुमार चौधरी)
सकाधि-।
कृते मंडल रेल प्रबंधक (का0)
समस्तीपुर

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव-।/मरेप्र - मरेप्र महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. गोपनीय सहायक/अमरेप्र - अमरेप्र महोदय के सादर सूचनार्थ।
3. सभी शाखा अधिकारी - समस्तीपुर मंडल।
4. सकाधि-।।/समस्तीपुर।
5. मंडल मंत्री, ईसीआरकेयू, अजा/अजजा एवं ओबीसी एशो0/समस्तीपुर।


12/7/19

कृते मंडल रेल प्रबंधक(का0)